राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एस्टे/डीईएस/मंत्रा/अ.अ./115/3320 दिनांक 05-10-2019

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित मंत्रालयिक कार्मिकों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	विभाग/कार्यालय का नाम	प्रतियोगी परीक्षा,जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है
1	2	3	4
1.	पंकज शर्मा	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, सरदारशहर, चूरू	बी.ए. पार्ट प्रथम वर्ष 2019-20 स्नातक परीक्षा
2.	निशा	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, चूरू, चूरू	एम. एस. सी. उतरार्द्ध गणित सत्र 2019-20, प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018
3.	मनीष इनाणिया	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, बावडी, जोधपुर	स्कूल व्याख्याता परीक्षा वर्ष 2019, पुस्तकालयाध्यक्ष द्वितीय श्रेणी परीक्षा वर्ष 2019, पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी परीक्षा वर्ष 2018, बी. एल.आई.बी. परीक्षा वर्ष 2019
4.	लक्ष्मण सिंह	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जोधपुर	अर्थशास्त्र पूर्वार्द्ध परीक्षा वर्ष 2019
5.	हेमराज	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, कठूमर, अलवर	प्रबंधक भर्ती परीक्षा (सहकारी बैंक) 2019
6.	पीयूष कुमार शर्मा	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, अलवर	स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2018,
7.	सुमन यादव	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, गोविन्दगढ़, जयपुर	यू.जी.सी. नेट परीक्षा 2019, स्कूल व्याख्याता (भूगोल) परीक्षा 2018
8.	कृष्ण लाल	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, श्रीगंगानगर	एम.ए. (अर्थशास्त्र) परीक्षा 2019-20

नोटः- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी तथा नियमित अध्ययन की स्वीकृति प्रदान नही की जाती है।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाऐगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
7. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
8. अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से ज़िम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
10. प्रशासनिक कारणो से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोट करने हेतु।
2. संबधित विभाग...
3. संबधित कार्मिक श्री..
4. निजी/रक्षित पत्रावली

(सुभाष चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक (प्रशासन)